

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 26/2011

संस्थापन दिनांक 05.11.2004

फाइलिंग दिनांक : 14.01.2011

लाखन बरेठा पुत्र राजाराम बरेठा निवासी ग्राम एण्डोरी  
तहसील गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

— परिवादी

बनाम

- 1-बनवारी पुत्र गनपति राठौर
  - 2-राजाराम पुत्र देवलाल राठौर
  - 3-रामसेवक पुत्र ग्याराम राठौर
  - 4-रामप्रकाश पुत्र ग्याराम राठौर
- निवासीगण ग्राम एण्डोरी तहसील गोहद जिला भिण्ड

— अभियुक्तगण

निर्णय

( आज दिनांक.....को घोषित )

1. उपरोक्त अभियुक्तगण को राजीनामा के आधार पर धारा 294 भा.द.स.के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया है शेष विचारणीय धारा 290 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 15.11.04 या उसके लगभग फरियादी लाखन अ0सा01 के घर के पास स्थित शासकीय हैंडपम्प एण्डोरी जिला भिण्ड पर फरियादी लाखन अ0सा01 को शासकीय हैंडपम्प से पानी भरने के लोक अधिकार में बाधा उत्पन्न कर लोक न्यूसेन्स कारित की।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 05.11.2004 को जब फरियादी लाखन अ0सा01 सार्वजनिक हैंडपम्प स्थित एण्डोरी जिला भिण्ड पर अपनी मां के साथ पानी भरने गया था तब आरोपीगण ने उसे पानी भरने नहीं दिया और मां बहन की अश्लील गालियां दीं और उसके बर्तन फेंक दिए आरोपीगण परिवादी को पानी भरने नहीं देते हैं। जिस पर से परिवादी ने ग्राम न्यायालय के समक्ष आवेदन प्र0पी-1 प्रस्तुत किया जिस पर से परिवाद प्र0पी-2

आरोपीगण के विरुद्ध ग्राम न्यायालय के समक्ष पंजीबद्ध किया गया। आरोपीगण द्वारा ग्राम न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत किया गया। तदोपरांत दिनांक 14.01.11 को ग्राम न्यायालय के समक्ष लंबित यह प्रकरण अंतरित होकर इस न्यायालय के पूर्व पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. आरोपीगण ने अपराध विवरण की विशिष्टियों को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपीगण की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।
4. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि क्या आरोपीगण ने 8 टना दिनांक 07.01.16 को 15:00 बजे बी.पी.फूड फैक्ट्री के सामने थाना मालनपुर जिला भिण्ड पर देवेन्द्रसिंह अ0सा01 की दांतों से काटकर सहअभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?  
/// विचारणीय प्रश्न पर सकारण निष्कर्ष ///
5. फरियादी लाखन अ0सा01 ने कथन किया है कि 10-15 वर्ष पूर्व वह सरकारी हैंडपम्प पर पानी भर रहा था तब पुरानी रंजिश के उपर आरोपीगण से झगड़ा हो गया तब उसने ग्राम न्यायालय में आवेदन प्र0पी-1 दिया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। जिस पर से परिवाद प्र0पी-2 कायम किया गया जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि आरोपीगण उसे हैंडपम्प पर पानी भरने से रोकते थे और सार्वजनिक हैंडपम्प पर आरोपीगण उसे पानी लेने नहीं देते थे। अतः स्वयं फरियादी ने स्पष्ट इंकार किया है कि उसके सार्वजनिक हैंडपम्प से पानी भरने के अधिकार को उपयोग में लेने का आरोपीगण ने बाधा उत्पन्न की है। फरियादी लाखन अ0सा01 अभियोजन मामले में महत्वपूर्ण साक्षी है जिसके विरुद्ध अभियोजित घटना घटित हुई है परन्तु उसके द्वारा न्यायालयीन साक्ष्य में अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया गया है और पानी भरने के अधिकार में बाधा उत्पन्न किए जाने से भी इंकार किया है। अतः उक्त महत्वपूर्ण अभियोजन साक्षी द्वारा ही अभियोजन मामले का समर्थन न किए जाने के परिणामस्वरूप यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपीगण ने लोक न्यूसेन्स कारित किया।
6. अतः उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना से अभियोजन अपना मामला सिद्ध करने में असफल रहता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपीगण ने दिनांक 07.01.16 को 15:00 बजे बी.पी.फूड फैक्ट्री के सामने थाना मालनपुर जिला भिण्ड पर देवेन्द्रसिंह अ0सा01 की दांतों से काटकर सहअभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।
7. परिणामतः आरोपीगण को धारा 290 भ.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
8. आरोपीगण के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0